

अन्य पिछड़े वर्गों में आरक्षण

अभय प्रताप सिंह

आरक्षण का अभिप्राय कुछ दुर्बल व्यक्तियों को सशक्त व्यक्तियों से बचाकर पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक विषमताओं को ध्यान रखते हुए यह उचित समझा गया है कि दुर्बल सामाजिक वर्गों को सबल वर्गों से बचाकर विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों संसद एवं राज्य विधानमण्डलों में स्थान प्रदान किये जायें। इसके पिछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य समाज के स्तरीकरण में निम्न कहे जाने वाले वर्गों जो कि शैक्षिक आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति को सुधारना था। उनका विचार था कि समाज के ये वर्ग वर्शों से सामाजिक स्तरीकरण के कारण पददलित एवं शोषित रहे हैं। आज आरक्षण में भी आरक्षण की बात चल रही है। महिला आरक्षण, गुर्जर जातियों के लिए आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, आदि आरक्षण में आरक्षण के उदाहरण हैं।